

ऑनलाइन बाल दुर्व्यवहार में वृद्धि

प्रलिम्स के लिये:

[आर्टफिशियल इंटेलिजेंस, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, साइबर सुरक्षति भारत पहल](#)

मेन्स के लिये:

बच्चों पर साइबरबुलिंग और ऑनलाइन यौन शोषण का प्रभाव, बच्चों से संबंधित मुद्दे

[स्रोत: हदिसतान टाइम्स](#)

चर्चा में क्यों?

वभिन्न कषेत्रों के 123 अध्ययनों के व्यापक विश्लेषण के आधार पर द लैसेट में प्रकाशित एक अध्ययन में विश्व भर में बच्चों के समक्ष ऑनलाइन यौन शोषण की बढ़ती चिंता पर प्रकाश डाला गया है।

ऑनलाइन बाल दुर्व्यवहार से संबंधित अध्ययन के प्रमुख नष्कर्ष क्या हैं?

- दुर्व्यवहार की व्यापकता: इसमें बताया गया है कि पिछले दशक में वैश्विक स्तर पर 12 में से एक बच्चे (लगभग 8.3%) को ऑनलाइन यौन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है।
- शोषण के प्रकार: इस अध्ययन में ऑनलाइन यौन शोषण के कई उपप्रकारों की पहचान की गई है, जिनमें यौन संबंधी पूछताछ/बातचीत से संबंधित ऑनलाइन प्रलोभन (12.5%), बर्ना सहमति के छवि साझा करना (12.6%), ऑनलाइन यौन शोषण (4.7%) और सेक्सुअल एक्सटॉर्शन (3.5%) शामिल हैं।
- लैंगिक गतिशीलता: बालक और बालिकाओं के बीच ऑनलाइन दुर्व्यवहार की दरों में कोई प्रमुख अंतर नहीं है, जिससे इस पूर्वधारणा को चुनौती मिलती है कि लड़कियाँ अधिक असुरक्षित हैं।
 - इससे ऑनलाइन वातावरण और व्यवहार में बदलाव का संकेत मिलता है, जिससे लड़कों के लिये जोखिम बढ़ रहा है।
- मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव: इस रिपोर्ट में ऑनलाइन यौन शोषण को गंभीर मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य परिणामों से जोड़ा गया है, जिसमें जीवन प्रत्याशा और रोज़गार की संभावनाओं में कमी शामिल है।

ऑनलाइन बाल दुर्व्यवहार बढ़ने के क्या कारण हैं?

- इंटरनेट तक पहुँच में वृद्धि: व्यापक इंटरनेट पहुँच ने बच्चों की ऑनलाइन उपस्थिति (इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं का 1/3) में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे ये शोषण के प्रति संवेदनशील हो गए हैं, विशेष रूप से अनियंत्रित सोशल मीडिया और गेमिंग में।
- महामारी से संबंधित कारक: कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन गतिविधि में वृद्धि ने अपराधियों को बच्चों का शोषण करने में सक्षम बनाया, जिससे दुर्व्यवहार के मामलों में वृद्धि हुई, जिसमें मार्च 2020 से अब तक सेक्टॉरशन के मामलों में तीन गुना वृद्धि देखी गई।
- प्रौद्योगिकी में उन्नति: बड़ी संख्या में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उपकरणों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के प्रयोग ने अपराधियों के लिये बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) बनाना और वितरित करना आसान बना दिया है, जिसका पता लगाना मुश्किल है।
- डिजिटल साक्षरता का अभाव: ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में सीमित जागरूकता उपयोगकर्त्ताओं को असुरक्षित बनाती है; केवल 38% भारतीय परिवार डिजिटल रूप से साक्षर हैं।
- अपर्याप्त नगिरानी और प्रवर्तन: अधिक प्रवर्तन और प्रौद्योगिकी कंपनियों को तेजी से विकसित हो रहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के साथ तालमेल बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे नगिरानी और प्रवर्तन में अंतराल रह जाता है।

ऑनलाइन बाल शोषण से संबंधित भारत की पहल

- वधायी एवं नीतित्गत उपाय:

- [यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण \(POCSO\) अधिनियम, 2012](#) ऑनलाइन शोषण समेत बाल यौन शोषण से नपिटने के लिये वधिकि ढाँचा प्रदान करता है।
- [सूचना प्रौद्योगिकी \(IT\) अधिनियम, 2000](#) में बच्चों के वरिद्ध साइबर अपराध से संबधति प्रावधान हैं।
- [कशोर न्याय \(बच्चों की देखभाल और संरक्षण\) अधिनियम, 2015](#) ऑनलाइन दुर्व्यवहार सहति बाल संरक्षण मुद्दों को संबोधति करता है।
- **संस्थागत तंत्र:**
- **राष्ट्रीय साइबर अपराध रपिरटगि पोर्टल:** बाल दुर्व्यवहार मामलों की ऑनलाइन रपिरटगि की सुवधि प्रदान करता है।
- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)** बाल शोषण समेत साइबर अपराधों के खिलाफ वधिकि प्रवर्तन प्रयासों को मज़बूत करता है।

ऑनलाइन बाल दुर्व्यवहार को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **सशक्त कानून और प्रवर्तन:**
 - **सशक्त कानून:** अपराधियों के लिये अधिक दंड के साथ कठोर कानूनी ढाँचे को लागू करना।
 - **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** सीमा पार दुर्व्यवहार नेटवर्क को नष्ट करने के लिये इंटरपोल और FBI जैसी एजेंसियों के साथ सहयोग को मज़बूत करना।
 - **रपिरटगि प्रणाली की सुदृढ़ता:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिये वास्तविकि समय रपिरटगि और नगिरानी उपकरणों में सुधार करना, गोपनीय हेल्पलाइन स्थापति करना साथ ही दुर्व्यवहार सामग्री को साझा करने के उभरते तरीकों की रपिरट करने के लिये सोशल नेटवर्क को प्रोत्साहति करना।
- **जन जागरूकता और शक्ति:** बच्चों, अभिभावकों और शक्तिषकों के लिये जागरूकता अभियानों के माध्यम से डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देना।
 - **बच्चों के लिये समर्पति अनुभाग,** सोशल मीडिया और ब्राउज़िंग प्लेटफॉर्म पर "सुरक्षति खोज", कृत्रमि बुद्धमिक्ता (AI) आधारति सामग्री फिल्टरगि और अभिभावकीय नयित्रण जैसी सुवधियों के माध्यम से ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **तकनीकी उद्योग के साथ सहयोग:** तकनीकी कंपनियों को सामग्री का कठोरता से मॉडरेशन करने, आयु-सत्यापन की बेहतर वधि अपनाने और डार्क वेब प्लेटफॉर्मों पर CSAM के निर्माण की रोकथाम करने हेतु एथिकल AI साधन वकिसति करने के लिये प्रोत्साहति करने की आवश्यकता है।
- **अनुसंधान की आवश्यकता:** साक्ष्य-आधारति नीतियाँ तैयार करने और बाल संरक्षण ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिये, वशिष रूप से वशिष के अल्प प्रतनिधित्व वाले क्षेत्रों में व्यापक अनुसंधान और डेटा संग्रह में नविश करने की आवश्यकता है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में साइबर अपराध की स्थिति और बालकों पर इसके प्रभाव की वविचना कीजिये। इन खतरों का समाधान करने के उपायों का सुझाव दीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[[[?]]]]:

प्रश्न. भारत में, कसिी व्क्ती के साइबर बीमा कराने पर, नधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतरिकित, सामान्यत: नमिनलखिति में से कौन-कौन से लाभ दिये जाते हैं ? (2020)

1. यदि कोई मैलवेयर कम्प्यूटर तक उसकी पहुँच बाधति कर देता है, तो कम्प्यूटर प्रणाली को पुन: प्रचालति करने में लगने वाली लागत
2. यदि यह प्रमाणति हो जाता है ककिसी शरारती तत्त्व द्वारा जान-बूझकर कम्प्यूटर को नुकसान पहुँचाया गया है तो नए कम्प्यूटर की लागत
3. यदि साइबर बलात्-ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिये वशिषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएँ लेने पर लगने वाली लागत
4. यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारत में, साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रपिरट करना नमिनलखिति में से कसिके/कनिके लिये वधिति: अधदिशात्मक है/है? (2017)

1. सेवा प्रदाता (सर्विस प्रोवाइडर)
2. डेटा सेंटर
3. कॉर्पोरेट निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्त्व क्या हैं? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिये कि भारत ने कसि हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है। (2022)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rising-online-child-abuse>

